न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 01/2019 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. नारायण पुत्र श्री रामसहाय, जाति चमार, निवासी शाहपुर,
2. भौण्डा पुत्र श्री रामसहाय, जाति चमार, निवासी शाहपुर,
3. केसरिया पुत्र श्री रामसहाय, जाति चमार, निवासी शाहपुर, तहसील व जिला अलवर

..... प्रतिवादी अपीलान्टस

बनाम

1. रामोतार उर्फ पप्पू पुत्र श्री डालू, जाति चमार,
2. सन्तराम पुत्र श्री डालू, जाति चमार,
3. सन्तूराम पुत्र श्री डालू, जाति चमार,
4. सुरेश चन्द पुत्र श्री डालू, जाति चमार,
5. रामू पुत्र प्रभाती, जाति चमार,
6. राजबाई पत्नि स्व. श्री मंगतूराम, जाति चमार,
7. हरिसिंह पुत्र स्व. श्री मंगतूराम, जाति चमार,
8. रामफुल पुत्र स्व. श्री मंगतूराम, जाति चमार,
9. सुरेश पुत्र स्व. श्री मंगतूराम, जाति चमार, अव्यस्क जरिये सरपरस्त श्रीमति राजबाई माता खुद
10. मु. मल्ली उर्फ छोटकी पत्नि श्री मक्खन, जाति चमार,
11. ओमप्रकाश पुत्र श्री मक्खन, जाति चमार,
12. जयसिंह पुत्र श्री मक्खन, जाति चमार, अव्यस्क जरिये सरपरस्त श्रीमति मल्ली उर्फ छोटकी, जाति चमार, निवासीयान ग्राम रून्दमदार व जिला अलवर

.....वादी असल रेस्पोडेण्ट

13. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय अलवर
14. तहसीलदार साहब तहसील अलवर
15. नारायण पुत्र त्रिलोका, जाति चमार, निवासी ग्राम शाहपुर, तहसील व जिला अलवर

.....प्रतिवादीगण तरतीबी रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

1. श्री आनंद सिंह, अभिभाषक अपीलांट।
2. अभिभाषक रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

::: निर्णय ::: **दिनांक :– 15.04.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर के न्याय आपके द्वार लोक अदालत कैम्प कोर्ट शाहपुर के निर्णय दिनांक 22.06.2018 दावा संख्या 02/81/16 बउनवान रामोतार बनाम सरकार के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर में इस प्रकार का वाद पेश किया गया कि वादीगण के पूर्वजों को खसरा नम्बर 12/1 एवं 12/2 वाके ग्राम रूध मदार उपजिलाधीश महोदय अलवर द्वारा दिनांक 10.10.1975 को आवंटित की गई थी। सम्वत् 2051 में खसरा नम्बर 12 को हाल खसरा नम्बर 60/0.33, 61/0.14, 78/0.07, 80/3.09 व 79/0.06 हैक्टर कायम किया गया, जिस पर वादीगण काबिज है। हाल खसरा नम्बर 60, 61, 78 व 79 की स्थिति नक्शा ट्रेस में सही दर्ज की गई, किन्तु खसरा नम्बर 80 को खिलाफ मौका दर्ज कर दिया गया। वास्तव में वादीगण कका कब्जा उस स्थान पर चला आ रहा है, जहाँ प्रतिवादीगण 03 लगायत 06 के खसरा नम्बर 40 व 41 नक्शा ट्रेस में दर्ज किये हैं। नक्शा ट्रेस सम्वत् 2051 में जो स्थिति खसरा नम्बर 40 व 41 की दर्ज की गई है उनका कुल रकबा 0.58 हैक्टर होता है, जबकि नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 40 व 41 का रकबा बहुत अधिक है। प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 06 ने दुरूस्ती कराने से कतई मना कर दिया एवं वे इस आराजी पर बलपूर्वक कब्जा करना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 06 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से फरमाये जाने का निवेदन किया। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 22.06.2018 को कैम्प कोर्ट शाहपुर में प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति क्षति का मानते हुए विवादित आराजी हाल ख.नं. 40, 41 वाके ग्राम रूध मदार के मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थीगण द्वारा अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि स्वयं रेस्पोडेण्ट/वादीगण के अनुसार खसरा नम्बर 60, 61, 78, 79 व 80 को स्वयं की आवंटन शुदा होना बताया है और नक्शा खसरा अनुसार काबिज है। खसरा नम्बर 40 व 41 पर अपना कोई क्लेम नहीं किया है। आराजी हाल खसरा नम्बर 40 व 41 अपीलाण्टस की खातेदारी की आराजी है, जिस पर अपीलाण्टस का कब्जा बतौर खातेदार चला आ रहा है, किन्तु अब वादीगण अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की आड में अपीलाण्टस की उपरोक्त आराजी में बेजा रूकावट पैदा कर बलपूर्वक बेदखल करना चाहते हैं। अपीलाण्ट द्वारा अदालत मातहत में एक प्रार्थना–पत्र 2/58/16 अन्तर्गत राज0 काश्तकारी अधिनियम 212 बउनवान नारायण सिंह बनाम फूलसिंह पेश किया गया, जिसमें निर्णय दिनांक 22.06.2018 को खसरा नम्बरान 40, 41, 42, 43 व 44 में

GL

अप्रार्थीगण को बेदखल नहीं करने एवं कब्जे काश्त में रूकावट न करने बाबत पाबंद किया हुआ है।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट भी पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही अपीलान्टास कैम्प कोर्ट में हाजिर थे। उक्त आदेश का सर्वप्रथम इल्म 26.12.2018 को होने पर दिनांक 27.12.2018 को नकल प्राप्त करने का आवेदन किया। नकल प्राप्त होने के बाद कानूनी सलाह ली एवं बिना किसी देरी के दिनांक 26.12.2018 से अन्दर मियाद पेश कर दी। दिनांक 22.06.2018 से दिनांक 26.12.2018 तक का समय जानकारी का अभाव होने के कारण कण्डोन किये जाने योग्य है, अतः इस अवधि का मुजरा दिया जाकर अपील स्वीकार करें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक रेस्पोडेण्ट पूर्व में दो अवसर दिये जाने के बाद अनुपस्थित एवं विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की इकतरफा बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी मुख्य बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि गलत निर्णय की आड में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की खुली अवहेलना हुई और अपीलाण्ट के साथ न्याय नहीं हुआ है। आराजी हाल खसरा नम्बर 40 व 41 अपीलाण्टस की खातेदारी की आराजी है, जिस पर अपीलाण्टस का कब्जा बतौर खातेदार चला आ रहा है, किन्तु अब वादीगण अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की आड में अपीलाण्टस की उपरोक्त आराजी में बेजा रूकावट पैदा कर बलपूर्वक बेदखल करना चाहते हैं। असल रेस्पोडेण्ट से साज–बाज होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का मौका दिए गलत निर्णय किया गया है जिसे अपास्त किया जाना आवश्यक है जिसे अपास्त किया जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 22.06.2018 का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर विवेचन करना आवश्यक है। अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों में मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु कैम्प कोर्ट की कोई सूचना मातहत अदालत द्वारा अपीलांट को नही दी गई ना ही कोई

नोटिस जारी किये गये। मातहत अदालत द्वारा अपीलांट की गैरमौजूदगी में अपीलांट को सूचित किये बिना तथा सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका दिये बिना निर्णय पारित कर दिया। रेस्पोडेण्ट का विवादित आराजी पर कभी कोई कब्जा नही रहा तथा कानूनन गैरकाबिज व्यक्ति के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही की जा सकती। इस प्रकार अपीलांट विवादित आराजी के काबिज काश्तकार हैं तथा कानूनन काबिज काश्तकार को पाबन्द नही किया जा सकता है। इस बिन्दु को अदालत मातहत ने अपने वाद संख्या 2/58/16 बउनावन नारायण सिंह बनाम फूलसिंह निर्णय दिनांक 22.06.2018 में प्रतिपादित किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन के आधारा पर अपीलांट अपील स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी अलवर का निर्णय दिनांक 22.06.2018 को अपास्त किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/4/21

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर